

पुलिस है कि मानती नहीं, सटोरिए है कि मनमानी से बाज आते नहीं

सद्गुरु किंग मलिक पर पुलिस कब कसेगी शिकंजा... ?



कामधंधा छोड़कर ओपन-टू-क्लोज का दिवाना हो चुका है। इसके तौर पर सभी मार्केट मलिक के यह सफ देखी जा सकती है। सुबह उत्तरे ही पुराने रिकार्ड लेकर लोग सद्गुरु का अचूक ऑंकड़ा निकालते दिख जाते हैं, और क्या आया, क्या खुला, जैसे डायलोग सुन सकते हैं। लोगों को शहर और स्कर्पिंग में घूम रहे हैं। जबकि सभी को मालूम है कि उन छुट्टैया नेताओं का फाइरीसिल बैकग्राउंड से पांच वर्ष पहले क्या था, और आज क्या है। जीवन दलाली और सकारी जीवन पर कहा करने वाले छुट्टैया नेता दिखाई दिया है, और क्या आया, क्या खुला, जैसे डायलोग सुन सकते हैं। लोगों को शहर और स्कर्पिंग में घूम हो रहा है क्या सामान नहीं है, इसकी चिन्ता करने के बायार ओपन-टू-क्लोज की दिवानी सभी मार्केट मलिक और गोपाल डेंरे के साइड में शाकि यह देखी जा सकती है। पुराने का खुफिया तंत्र लगातार सटोरियों की सूचना देकर ताबड़ोड़ा कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी सटोरियों और पुलिस में लुकांचिया का खेल बेखोफ चल रहा है।

पुलिस है कि कार्रवाई से मानती नहीं और सटोरिए हैं कि कार्रवाई से मानती से बाज आते नहीं के तर्ज पर खेल चल रहा है। पुराने कार्रवाई का तर्ज से पांच वर्ष पहले क्या था, और उसके बाद भी सटोरियों में पुलिसिया खोफ कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद भी शुजालपुर में सद्गुरु बंद नहीं हो सका। पुलिस भी इन कामियों को खोफ ही नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मजबूर है, छोटे-मोटे गुणों को पकड़ कर खाना पूर्णी कर रहे हैं। जबकि सद्गुरु किंग मलिक आलीशान आफिस बनाकर लकड़ी कार में नेताओं के साथ उठ बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस उन सटोरियों के परिवान पर धृष्ट लाले तो कैसे डाले, क्योंकि उसके पास पुखा सबूत ही नहीं है, पुलिस ने आज

तक जिनें भी सटोरियों को पकड़ा है किसी ने भी सद्गुरु किंग मलिक का नाम नहीं बताया है। ये सटोरिए तो निजी मुचलके पर थाने से ही छूट कर फिर सद्गुरु में लिस हो जाते हैं। क्योंकि जिस तह लोग खुलेआम सद्गुरु चलने लगा है, इसकी जानकारी पुलिस को होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कि जाती है।

कानून व्यवस्था विगाड़ ने वाले सत्रिय

जिले में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले सटोरियों का गिरोह सत्रिय है, जो आपराधिक गतिविधियों में लिस होने के बाद भी पुलिस का भय नहीं है। पहले तो कभी कभार एक दो छोटे प्रकरण बनाकर खानापूर्ति कर ली जाती थी, लेकिन सद्गुरु के कामियों के हैमेल से बुलंद हैं। वे अपने काम को खुलेआम संचालित कर रहे हैं। सद्गुरु के इस तरफ सटोरिया मालामाल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कहीं घर बढ़ावी के कामरा पर

पहुंच चुके हैं लेकिन आपराधिक पुलिस मानो कान में तेल डाल कर बैठी हैं और वह सटोरियों पर मेहबूबन नजर आ रही है।

पुलिस भी इस बात से बेखबर है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस इनके दिक्कानों में छापा मानो जाते भी हैं तो मलिक ने कई जगह नेटवर्क फैला रखा है। जिससे पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिल जाती है और वे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और सद्गुरु विलासे के लिए मलिक अपने गुरुओं विठाकर रखे हैं। और सद्गुरु विलासे के लिए मलिक अपने गुरुओं का। इस मास्टर माइंड अपराधियों तक पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि मलिक ने अपने सूची हर कोने कोने पर खड़ा कर रखा है जिससे पुलिस को हर खबर आसानी से मिल जाती है और वे साफ बच निकलते हैं।

शहर के कई क्षेत्रों में सद्गुरु का कारोबार धड़ले से

माही की गूँज, शुजालपुर। अजय राज केवट

शुजालपुर पुलिस और सटोरियों के बीच में इन दिनों तुड़ा-डाल, मैं पात-पात का करवा चल रहा है। गली-मोहल्ले के बेंगोलार व कम घें-लिखे युवक सटोरियों के निशाने पर है। सद्गुरु लिखने वाले गुरुओं को नहीं मालूम कि मुख्य सटोरियों का बैंस असिरिंग कीन है। नशीले पदार्थ के लालच और कामीन के नाम पर सटोरिए दाने डाल रहे हैं।

माही की गूँज सरोकार और समाजिक दायित्व की निधान पर हुए गुरुओं के खिलाफ खेल रहे हैं। एडमिशन के खिलाफ खेल रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ खेल रहे हैं। शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाने की अहम भूमिका निभा रहा है। शुजालपुर में जिम्म और मश्याकर्गी परिवार के साथ-साथ गरीब तबकों के लोगों में सद्गुरु को खुमारी देखी छाई है कि

पर्यूषण महापर्व के दौरान शहर में पधु वध एवं मांस विक्रय केंद्र बंद करवाए जाने को लेकर श्रेतांबर जैन श्री संघ ने सौपा ज्ञापन

भारत सरकार एवं मप्र सरकार के निर्देशों का शहर में हो कड़ाई से पालन

माही की गूँज, झाबुआ।

जैन समाज का पवारिधार्य पर्यूषण महापर्व आरंभ हो गया है। भगवन महाराज स्वामीं की संदेश अंतर्सार यह पर्व अधिकारी के साथ विशेषकर मूरुं जीवों की दिंसा नहीं करने का संदेश देता है। पर्यूषण महापर्व 24 अगस्त से आरंभ होकर

आगामी 31 अगस्त तक चलेंगे। भारत सरकार एवं मप्र सरकार के सख्त निर्देश है कि जैन समाज के इस बड़े त्याहार के दौरान मांस विक्रय केंद्र बंद करवाए जाने की ओर खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसी तात्पर्य में श्रेतांबर जैन श्री संघ झाबुआ की ओर से कलेक्टर के नाम एसडीएम श्री गर्ग को ज्ञापन सौंपकर जैन समाज के पवारिधार्य

पर्यूषण महापर्व 24 अगस्त, बुधवार से 31 अगस्त, बुधवार तक शहर में सभी मांस विक्रय बंद की दुकानें बंद करवाए जाने की ओर खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस प्रशासन के विरोधी अधिकारियों को पर्यूषण के आठ दिवसीय महापर्व के दौरान भारत सरकार एवं मप्र उकापर का ज्ञापन देने के बाद भी उकापर धर्म दिवं बुधवार को शहर में कई ऐसे क्षेत्रों में मांस विक्रय धड़ले से होता नजर आया और पशु वध कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में बकरीयों, मुरुं की खरीदी-विक्री भी होती नजर आई। जिला प्रशासन के विरोधी अधिकारियों को पर्यूषण के आठ दिवसीय महापर्व के दौरान भारत सरकार एवं मप्र सरकार के नियमों को कड़ाई से सभी धर्म दिवं बुधवार को शहर में कई ऐसे क्षेत्रों में मांस विक्रय धड़ले से होता नजर आया और पशु वध कर रहे हैं।

इन्हें जिसके कालेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई।

93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त

भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सेंज रजिस्ट्रेशन कार्डेसिल भोपाल ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तक बालाक भ्रष्टाचार समेत कई जिलों के कालेज शमिल हैं। प्रदेश में सालों से चल रहे पुराने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई।

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवड़े में मध्य प्रदेश उच्च व्यायालय ने भी सद्गुरु बरतते हुए अयोग रजिस्ट्रार सुनिता शिंजू को निरस्त बताए हुए हैं। इसके अलावा बालाक भ्रष्टाचार समेत कई जिलों के कालेज व्यायालय ने भी गुरुओं के खिलाफ खेल रहे हैं। जिसके बाद हजारों छात्र छात्राओं का भवित्व खतरे में आ गया है।

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवड़े में एक व्यायालय ने भी सद्गुरु बरतते हुए अयोग रजिस्ट्रार सुनिता शिंजू को निरस्त दिए और चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर यह प्रेसेस नर्सिंग कॉलेजों की भवन आलीशान आफिस बनाकर लकड़ी कार में जानेओं के साथ उठ बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं साइबर अपराधियों को सांसदीय व्यायालय ने आलीशान आफिस का संज्ञान लेते हुए यह करता है।

दरवाजा, वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त इन नर्सिंग कॉलेजों को अकादमी भवन, छात्रावास, लैंब, उपकरण, संबंध अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज और वर्तमान समय के फोटो 10 मई 2022 तक उपलब्ध कराने की जारी गया था। हालांकि इन कॉलेजों ने चाहे गए दस्तावेज नहीं कराया जाए।

वहीं जिसके कारण उनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तकाल प्रभाव से निरस्त बताए हुए थे। विभाग ने कहा कि, नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिसकी भी छात्रों ने जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय ने जीवन भ्रष्टाचार कर रहा था। विभाग ने कहा कि, नर्सिंग कॉलेजों को भवन संबंधी नोटिस का जवाब न देने के कारण मान्यता निरस्त कर दी गई।

फर्जीवड़े कॉलेजों से संबंधित मामले को लेकर लॉ स्ट्रॉटेस एसोसिएशन के अधिकारी भवन ने भी जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय को निरस्त कर दी गई। इसके अलावा एक व्यायालय ने भी जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय को निरस्त कर दी गई। इसके अलावा एक व्यायालय ने भी जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय को निरस्त कर दी गई।

इसे लेकर एसपर्स भवन के बाहर व्यायालय ने भी जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय को निरस्त कर दी गई। एसपर्स व्यायालय ने भी जिसके बाद उन्होंने एक व्यायालय को निरस्त कर दी गई।

बाल कल्याण समिति झाबुआ के सदस्य, सिंधेश्वर धाम के सकिंता राजीव देवोल एवं धर्म भारत राजीव द

300 बोरी अवैध खाद परिवहन करते गाड़ी व्यापारियों ने पकड़ी, पुलिस में मामला दर्ज

विंडब्ल्यू : माल भेजने व मंगाने वाले व्यापारियों को नहीं बनाया आयोपी, एफआईआर दर्ज होने तक ड्रायवर भी हुआ फरार

माही की गूँज, थांदला।

20 अगस्त की सुबह थांदला और आसपास के खाद व्यापारियों ने अवैध खाद का परिवहन करने पर एक गाड़ी की तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। यह काम कर सभी व्यापारी क्रांतिकारी वाले भव में आ गय थे। ऐसा इसलिए भी था कि 15 अगस्त से खाद व्यापारियों ने संगठन की बात अनुसार खाद नहीं बेचने का निर्णय लिया था। व्यापारियों की यह अधोक्षण हड्डीलाल इसलिए भी थी कि लायरेसेंथारी सभी व्यापारी इसनारी से शासन के निर्देशनुसार किसानों को सही दाम पर खाद बटोरा। परंतु कुछ व्यापारी गरजस्थान सहित अन्य राज्यों से अवैध खाद को लाइन ऊचे दामों में बेच रहे थे, जिसके चलते इन ईमानदार व्यापारियों के व्यापार में बद्ध लग रहा था। इसी बात को लेकर सभी व्यापारी एकजुट थे और अवैध काम करने वाले व्यापारियों पर निरानन रखकर उन पर कार्रवाई हो देनी चाहिए। इसी की नीति था कि व्यापारियों ने ही खाद भेजने वाले व्यापारी के लिए इसी बात की नीति थी। सुबह तक जो व्यापारी क्रांतिकारी बन रहे थे और कह रहे थे कि अवैध खाद को बेचने और खरीदने वाले व्यापारी पर एफआईआर करवाएंगे। वह शाम तक प्रशासन और खुद के संगठन के आगे बौद्धि सहित अवैध खाद को लाइन ऊचे दामों से खरीद रहे थे। अंततः सिर्फ ड्रायवर के नाम की एकआईआर दर्ज हुई और वह भी पुलिस थाना परिसर से कृषि विभाग के अधिकारियों और खाद-बीज व्यापारियों के सामने से फरार हो गया। आविष्कार किसे?

पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ ड्रायवर का नाम वर्त्यों?

पुलिस रिपोर्ट और शासकीय पंचनामों में कुशलगढ़ से 20 अगस्त की सुबह भरा था। यह गाड़ी अरसी के अनुसार किसी छोड़भ एग्री के नाम से खाद को कल्याणपुरा में जिस व्यापारी के बहन उत्तरना था, उस व्यापारी की नाम भी शामिल नहीं है। मतलब साफ है कि व्यापारी और प्रशासन खुद अवैध व्यापार करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। सुबह से लेकर शाम तक लगभग 11 घंटों की मशक्त के बाद थांदला पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 554/22 दर्ज हो गया, परंतु एक नेता दो बदल के बाद तक व्यापारियों के नाम विभाग बनाए गए। यह कृषि अधिकारी और व्यापारी संगठन ईमानदारी से काम करते तो निश्चित रूप से इस अवैध कारोबार में लिप दोनों पक्ष कानून की जद में आते।

दोपहर से शाम तक झाबुआ और थांदला के कृषि विभाग के अधिकारियों ने पंचनामे बनाए। तब तक तहसीलदार के द्वारा बनाए पंचनामे में शामिल कुशलगढ़ व्यापारी की नाम विभाग बनाए गए। और व्यापारी अवैध खाद को राजस्थान से खरीद कर कल्याणपुरा तक लेकर जा रहा था? इस बटनाक्रम के दिन ड्रायवर द्वारा



खाद भरने वाले कुशलगढ़ के व्यापारी का नाम स्थानीय व्यापारी और मैटिया के समझ लिया था। हमारे सुन्नों ने बताया कि इसी दिन थांदला के कुछ व्यापारी कुशलगढ़ गए और उन्होंने खाद भेजने वाले व्यापारी के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। फिर भी पंचनामों में हस्ताक्षर करने वाले और मौके पर मौजूद व्यापारियों में कुशलगढ़ के उक व्यापारी का नाम एकआईआर में दर्ज कर्यों नहीं? मतलब साफ था गुड़ भी खाना था और गुलगुलों से परहेज भी दिखाना था।

तहसीलदार के पंचनामे और कृषि

अधिकारियों के पंचनामे में अंतर क्यों?

इस कार्रवाई में सबसे पहला पंचनाम तहसीलदार शक्तिसंहिता चौहान ने मैटिया और थांदला के व्यापारियों की मौजूदगी में ड्रायवर विशाल के बयान के आधार पर बनाया था। ड्रायवर के बयान के मुश्किल उसकी उस्तुरी से 20 अगस्त की सुबह भरा था। यह गाड़ी अरसी के कल्याणपुरा में यूजिस्टर्ड है। वर्तमान में इसे किसी कल्याणपुरा के व्यापारी की नहीं खरीदा है। यदि कृषि अधिकारी और व्यापारी संगठन ईमानदारी से काम करते तो निश्चित रूप से इस अवैध कारोबार में लिप दोनों पक्ष कानून की जद में आते।

दोपहर से शाम तक झाबुआ और थांदला के कृषि विभाग के अधिकारियों ने पंचनामे बनाए। तब तक तहसीलदार के द्वारा बनाए पंचनामे में शामिल कुशलगढ़ व्यापारी की नाम विभाग बनाए गए। और व्यापारी संगठन ईमानदारी से खरीद कर कल्याणपुरा तक लेकर जा रहा था? इस बटनाक्रम के दिन ड्रायवर द्वारा

कि विभाग के पंचनामों में ड्रायवर विशाल के हस्ताक्षर नहीं है और पुलिस रिपोर्ट में वाहन चालक मौके से भाग गया लिखा गया।

व्यापारियों में ही चर्चा

नहीं तो खुल जाता पूरा खेल

अवैध 300 बोरी श्रीराम यूरिया खाद के मामले की चर्चा नगर के व्यापारियों के बीच रही। उसमें यह बात भी समाप्त नहीं कि जिले के एक भावाना नेता के दबाव में कृषि अधिकारियों ने श्रीराम यूरिया को बेचने और खरीदने वाले दोनों व्यापारियों पर एकआईआर नहीं होने दी। साथ जिस आमरा वाहन में अवैध खाद का परिवहन हो रहा था, उस वाहन मालिक को सहायारोपी बनाया जाता। परंतु एक नेता दो बदल के चलते यह सब काम नहीं हो सका और ड्राइवर पर सारा लीकारा फोड़ दिया गया। हमेसा छोटी मछली को फसा कर बड़ी मछली को बचा लिया गया।

व्यापारियों की चर्चा में यह भी सामने आया कि वाहन के चालक के फरार होने के पांच थालों के कुछ खाद-बीज व्यापारियों के नाम सामने आने का भय भी था। बताया है कि इसी वाहन से नगर में भी कुछ व्यापारियों के व्यापार के निश्चक काग को भी रही है।

बारिश के चलते खाद को

सुरक्षित स्थान पर रखवाया

उर्वरक निरीक्षक उदा काग ने बताया कि पुलिस से अस्थायी सुपुर्दी लेकर 300 बोरी खाद को मप्र बीज एवं



फॉर्म विकास निगम खजूरी के गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया।

वस्तुस्थिति के आधार पर बनाया पंचनामा

कृषि उपसंचालक एसएसएस गवर्नर से जब हमने पुलिस थाना परिसर में बात की तो उनका कहना है कि मुझे अधिकारियों ने समाजे से अवगत करवाया है। वस्तुस्थिति के आधार पर हमने पंचनामा बनाकर पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध करवाया है। व्यापारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कर्यों नहीं करवाया है। इस बात पर वह मुकुरा कर बोले, वस्तुस्थिति के आधार पर पंचनामा बनाया है।

एफआईआर दर्ज करवाई है

उर्वरक निरीक्षक उदा काग से बात की तो उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के मांगदर्शन में पंचनामे तैयार किए हैं। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी है।

विभाग के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट दर्ज

थांदला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान ने कहा कि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक 554/22 दर्ज किया है। खाद को विभाग को अस्थायी सुपुर्दी कर देने के बाद व्यापारी ने अपराधी सुपुर्दी लेकर 300 बोरी खाद को मप्र बीज एवं

अस्थायी सुपुर्दी लेकर 300 बोरी खाद को मप्र बीज एवं

राशन की दुकान पर सरकारी अनाज की चोरी का ग्रामीणों ने लगाया आरोप



माही की गूँज, मेघनगर।

मेघनगर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम डूड़का में ग्रामीणों ने राशन की दुकान (उचित मूल्य की दुकान) संचालक जगदीश नायक पर अनाज चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम डूड़का में वहां पर स्थित राशन की दुकान पर जहां पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो अनाज मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि, जब वह महीने का राशन लेने दुकान पर पहुंचते हैं तो कई अनाज की सीलों द्वारा ढूँढ़ दी जाती है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बोरी में से थोड़ा-थोड़ा अनाज निकला गया होगा। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा तुरंत उच्च अधिकारियों को की गई।

उक्त शिकायत व मामले की गंभीरता को देखते हुए एसेंट्रल तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक उक्त जाच मौके पर चल रही थी। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकान संचालक उपरान्त उक्त अधिकारी के देखते हुए गर्भवत उत्तर दिया गया।

बता दें कि, इससे यही पूछ महीने पर खटना लेने दुकान पर पहुंचते हैं। समाचार लिखे जाने तक उक्त अधिकारी के देखते हुए गर्भवत उत्तर दिया गया। जिससे यह साथ बदलना चाहिए।

विधानसभा युक्त अध्यक्ष मंडलोई ने दिल्ली में दिल्ली अध्यक्ष युक्त अधिकारी ने आजात लोगों पर लगाया गाली-गलौज कर जाने से आजात लोगों पर लगाया गाली-गलौज करने की अमरीकी देने का आरोप

माही की गूँज, अलीराजपुर।

विधानसभा अध्यक्ष य

